



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिधौली के नेतृत्व में दिनांक 31.12.2020 को थाना अटरिया पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा जनपद की सीमा से छः माह के लिये निष्कासित किये गये जिला बदर अभियुक्त गोलू पुत्र राज किशोर नि0ग्राम कोडरिया कापुरवा थाना अटरिया सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 394/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- गोलू पुत्र राज किशोर नि0ग्राम कोडरिया कापुरवा थाना अटरिया सीतापुर

पुलिस टीम -

1. वरिष्ठ उ0नि0 श्री दीपक कुमार पांडेय
2. आरक्षी अरुण कुमार पाल

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 247/18 धारा 354 भादवि , 7/8 पास्को एक्ट थाना अटरिया सीतापुर
2. मु0अ0सं0 394/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना अटरिया सीतापुर

